RNI No. MAHBIL /2009/31730

सत्यमेव जयते

महाराष्ट्र शासन राजपत्र

असाधारण भाग सात

वर्ष १०, अंक १७] बुधवार, सप्टेंबर २५, २०२४/आश्विन ३, शके १९४६ [पृष्ठे ३, किंमत : रुपये ४७.००

असाधारण क्रमांक ३१

प्राधिकृत प्रकाशन

अध्यादेश, विधेयके व अधिनियम यांचा हिंदी अनुवाद (देवनागरी लिपी).

राजस्व तथा वन विभाग

मंत्रालय, मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक,

मुंबई ४०० ०३२, दिनांक २४ सितम्बर २०२४।

MAHARASHTRA ORDINANCE No. VIII OF 2024.

AN ORDINANCE

FURTHER TO AMEND THE HYDERABAD ABOLITION OF INAMS AND CASH GRANTS ACT, 1954.

महाराष्ट्र अध्यादेश क्रमांक ८ सन २०२४।

हैदराबाद ईनाम और नक़द अनुदानों का उत्सादन अधिनियम, १९५४ में अधिकतर संशोधन करने संबंधी अध्यादेश।

क्योंकि राज्य विधानमंडल के दोनों सदनों का सत्र नहीं चल रहा है;

और क्योंकि महाराष्ट्र के राज्यपाल का यह समाधान हो चुका है कि, ऐसी परिस्थितियाँ विद्यमान हैं, जिनके कारण उन्हें इसमें आगे दर्शित प्रयोजनों के लिए, हैदराबाद ईनाम और नक़द अनुदानों का उत्सादन अधिनियम, १९५४ में अधिकतर संशोधन करने के लिए सद्य कार्यवाही करना आवश्यक हुआ है;

सन् १९५५ का हैदराबाद अधिनियम क्रमांक ८।

अब, इसलिए, भारत के संविधान के अनुच्छेद २१३ के खण्ड (१) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, महाराष्ट्र के राज्यपाल, एतद्द्वारा, निम्न अध्यादेश प्रख्यापित करते हैं, अर्थात्:—

संक्षिप्त नाम तथा प्रारम्भण।

१. (१) यह अध्यादेश हैदराबाद ईनाम और नक़द अनुदानों का उत्सादन (संशोधन) अध्यादेश, २०२४ कहलाए।

(२) यह तुरंत प्रवृत्त होगा।

सन् १९५५ का हैदराबाद अधिनियम क्रमांक ८ की धारा २क में संशोधन।

२. हैदराबाद ईनाम और नक़द अनुदानों का उत्सादन अधिनियम, १९५५ (जिसे इसमें आगे, " मूल अधिनियम" कहां गया है) की धारा २क की, उप-धारा (३) के पश्चात् निम्न परंतुक निविष्ट किया जायेगा, अर्थात् :— सन् १९५५ का हैदराबाद अधिनियम क्रमांक ८।

"परंतु, जहाँ अपवादात्मक मामलो में, उप-धारा (१) के अधीन अधिकारी के निर्णय की वैधता से संबंधित शिकायत पर राज्य सरकार का यह समाधान हो जाता है कि, एक वर्ष की अवधि अवसित होने के पश्चात् भी ऐसे आदेशों की वैधता, औचित्य या नियमितता की जाँच करना आवश्यक है, तो राज्य सरकार या उसके द्वारा प्राधिकृत विभागीय आयुक्त, उक्त अवधि अवसित होने के पश्चात् भी ऐसे अधिकारों का उपयोग कर सकेगा।"।

सन् १९५५ का हैदराबाद अधिनियम क्रमांक ८ की धारा ६ में संशोधन।

३. मूल अधिनियम की धारा ६ की, उप-धारा (३) के,—

(१) खण्ड (क) के,—

(क) प्रथम परंतुक में, "पचास प्रतिशत" शब्दों के स्थान में, "पाँच प्रतिशत" शब्द रखे जायेंगे;

(ख) द्वितीय परंतुक में, "ऐसी भूमि के विद्यमान बाजार मूल्य के पचास प्रतिशत" शब्द जहाँ कहीं वह दोनों स्थानों पर आए हों, के स्थान में, "ऐसी भूमि के विद्यमान बाजार मूल्य के पाँच प्रतिशत" शब्द रखे जायेंगे;

(२) खण्ड (ख) के परंतुक में, "पचास प्रतिशत" शब्दों के स्थान में, "पाँच प्रतिशत" शब्द रखे जायेंगे।

वक्तव्य

हैदराबाद ईनाम और नक़द अनुदानों का उत्सादन अधिनियम, १९५४ (सन् १९५५ का हैदराबाद अधिनियम क्रमांक ८) की, धारा २क, ईनाम से संबंधित कतिपय प्रश्नों पर निर्णय लेने के लिये राज्य सरकार या प्राधिकृत अधिकारी के अधिकारों और व्यथित व्यक्तियों द्वारा जिलाधिकारी और विभागीय आयुक्त के समक्ष अपील दायर करने के लिये उपबंध करती है। उक्त धारा २क की, उप-धारा (३) यह उपबंध करती है कि, सरकार, जहाँ अपील प्रस्तुत नहीं की गयी है वहाँ अपील की अवधि के अवसान के पश्चात् परंतु, ऐसे विनिर्णय से एक वर्ष के बाद, का न हो कार्यवाहियों की वैधता, औचित्य या नियमितता के बारे में अपने समाधान के प्रयोजन के लिए प्राधिकृत अधिकारी की कार्यवाहियों का अभिलेख मांग सकेगी।

२. कतिपय ईनाम भूमियों के संबंध में उप-धारा २क के अधीन प्राधिकृत अधिकारियों द्वारा पारित आदेशों की वैधता के बारे में कतिपय शिकायतों की जाँच करने पर, सरकार का यह समाधान हुआ है कि, ऐसे आदेशों को पुनरीक्षित करने की आवश्यकता है। इसलिए, अपवादात्मक मामलों में, ऐसे आदेशों का पुनरीक्षण करने के लिए सरकार या प्राधिकृत विभागीय आयुक्त को समर्थ बनाने की दृष्टि से धारा २क की, उप-धारा (३) में यथोचित संशोधन करने के लिये प्रस्तावित किया गया है।

३. सरकार ने, **नजराणा** के रूप में ऐसी भूमि के विद्यमान बाजार मूल्य के पचास प्रतिशत और कतिपय शास्ति की राज्य सरकार को अदायगी करने पर ईनाम भूमियों के अधिभोग का अंतरण करने, अनधिकृत अंतरण का नियमितीकरण और संपरिवर्तन करने के लिए उपबंध करने की दृष्टि से, सन् २०१५ का महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक २५ द्वारा उक्त अधिनियम की धारा ६ की, उप-धारा (३) में संशोधन किया गया है। सरकार ने, उक्त उप-धारा (३) के उपबंधों, उसमें संशोधन करने की जरूरत और उसके संभाव्य परिणामों का अध्ययन करने के लिए राजस्व अधिकारियों की एक समिति बनाई है। उक्त समिति ने उसके रिपोर्ट में यह कथित किया है कि, विगत कई वर्षों में, ऐसे भूमियों के बाजार मूल्य में वृद्धि हो गई है, जिसके कारण उपर्युक्त निर्देशित संशोधन के अनुसार ऐसी भूमियों का अंतरण, नियमितीकरण और संपरिवर्तन करने के लिए अनुदान-धारकों से कम प्रतिक्रिया मिली है। इसलिए, उक्त समिति ने **नजराणा** की रकम घटाने की सिफारिश की है। लोक प्रतिनिधियों से प्राप्त विभिन्न अभ्यावेदनों तथा उक्त समिति की सिफारिशों को ध्यान में रखते हुए सरकार, उक्त धारा में यथोचित संशोधन द्वारा उक्त धारा ६ की, उप-धारा (३) के अधीन ईनाम भूमियों के अंतरण, नियमितीकरण और अधिभोग का संपरिवर्तन करने के लिए देय **नजराणा** की रक़म घटाना आवश्यक समझती है।

४. चूँकि, राज्य विधानमंडल के दोनों सदनों का सत्र नहीं चल रहा है और महाराष्ट्र के राज्यपाल का यह समाधान हो चुका है कि, ऐसी परिस्थितियाँ विद्यमान हैं जिनके कारण उन्हें इसमें उपर्युक्त प्रयोजनों के लिए, हैदराबाद ईनाम और नक़द अनुदानों का उत्सादन अधिनियम, १९५४ में अधिकतर संशोधन करने के लिए सद्य कार्यवाही करना आवश्यक हुआ है, अतः यह अध्यादेश प्रख्यापित किया जाता है।

मुंबई,
दिनांकित २० सितम्बर २०२४।

सी. पी. राधाकृष्णन,
महाराष्ट्र के राज्यपाल।

महाराष्ट्र के राज्यपाल के आदेश तथा नाम से,

राजेश कुमार,
सरकार के अपर मुख्य सचिव।

(यथार्थ अनुवाद),
विजया ल. डोनीकर,
भाषा संचालक, महाराष्ट्र राज्य।

ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING, STATIONERY AND PUBLICATION, PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR, RUPENDRA DINESH MORE, PRINTED AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS, 21-A, NETAJI SUBHASH ROAD, CHARNI ROAD, MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING, STATIONERY AND PUBLICATIONS, 21-A, NETAJI SUBHASH ROAD, CHARNI ROAD, MUMBAI 400 004. EDITOR : DIRECTOR, RUPENDRA DINESH MORE.